



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 125 राँची, गुरुवार,

24 मार्च, 2022 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

8 फरवरी, 2022

संख्या-11/जनगणना (मार्गदर्शन) विविध-04/18-359/रा०,--विभागीय अधिसूचना संख्या-11/जनगणना (मार्गदर्शन) विविध-04/18-2494/रा०, दिनांक-20.07.2021 द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम) संख्या-37, सन् 1948) के तहत जनगणना नियम, 1990 के नियम-8(iv) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की जनगणना-2021 के लिए झारखण्ड राज्य के सभी प्रशासनिक इकाइयों यथा: जिला/अनुमण्डल/ प्रखण्ड/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/छावनी परिषद/वार्ड/पंचायत/ग्राम आदि के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक-31.12.2021 के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किये जाने से संबंधित निर्णय अधिसूचित किया गया था ।

2 - COVID-19 महामारी के प्रसार के कारण पूर्व में उक्त प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में परिवर्तन की तिथि को समय-समय पर क्रमशः दिनांक-31.12.2020, 31.03.2021, 30.06.2021 एवं 31.12.2021 तक विस्तारित की गयी थी ।

3 - भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के अर्द्ध सरकारी पत्रांक-09/33/2019-CD (CEN), दिनांक-23.12.2021 के आलोक में COVID-19 महामारी के नये ऑमिक्रोन वेरियेन्ट के प्रसार के कारण उक्त प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में परिवर्तन की तिथि 30.06.2022 तक विस्तारित की जाती है। अर्थात् दिनांक-30.06.2022 के बाद प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में कोई परिवर्तन जनगणना कार्य की समाप्ति तक नहीं किया जायेगा। दिनांक-30.06.2022 तक प्रशासनिक इकाइयों में होने वाले परिवर्तन से संबंधित अधिसूचना की प्रति संबंधित उपायुक्त/विभाग, जनगणना कार्य निदेशालय, झारखण्ड राँची को उपलब्ध करायेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एल० खियांगते,

सरकार के अपर मुख्य सचिव-सह-

राज्य समन्वयक (जनगणना)
